

स्थागित किया गया हैं। अतः
पत्रावली दिनांक 11.3.26 को पेश हो।

11/3/26

पत्रा. पेश हुई। प्रार्थी वकील उप.। प्रार्थना-पत्र
की प्रकृति का हवा नोट-पुस्त में खारिज
किया जा चुका है। अतः प्रार्थना-पत्र
का कोई अर्थ नहीं। अतः प्रार्थ
का प्रार्थना-पत्र 212 RTA खारिज किया
जाता है।
पत्रावली प्रसंगिक प्रमाण
सब से कम से जांच करके
दफ्तर है।

~~11/3/26~~
11/3/26